न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 112/2025/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांकः 09.04.2025
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

रामगोपाल आत्मज रामचन्द्र जाति मीना निवासी ग्राम देहित तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी, राज0

...अपीलार्थी

बनाम

1. बद्री बाई पत्नी प्रकाश जाति मीना निवासी ग्राम बल्लोप तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी, राज0
2. तहसीलदार तालेड़ा, जिला बून्दी, राज0

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री अशोक कुमार गुप्ता, अभिभाषक –अपीलांट
श्री धनराज मीणा, अभिभाषक– रेस्पो0 क्र. 1

::निर्णय::

दिनांक 28.08.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार (भू.अभि.) तालेड़ा के प्रकरण संख्या 167/2022 प्रार्थना–पत्र विरासत का नामांतरकरण बाबत् द्वारा बद्री बाई पत्नि प्रकाश कौम मीना अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पारित निर्णय दिनांक 29.04.2022 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 क्र. 1 बद्रीबाई पत्नि प्रकाश कौम मीना साकिन बल्लोप ने प्रार्थना–पत्र के साथ अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा, सुन्दरबाई का मृत्यु प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत बल्लोप से जारी एवं राजस्व रिकोर्ड की नकल के साथ मुताबिक वसीयतनामा नामांतरकरण दर्ज करने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुन्दर बाई पुत्री शंकर पत्नि छीतर की विरासत वसीयतनामा के अनुसार बद्री बाई पत्नि प्रकाश मीणा के पक्ष में नामांतरकरण दर्ज किया जाना उचित मानते हुए तदनुसार ग्राम देहित स्थित आराजी खसरा सं0 2140 रकबा 0.2023 है0, खसरा सं0 2155 रकबा 0.7689 है0 कुल किता 2 रकबा 0.9712 है0 भूमि में संपूर्ण हिस्सा भूमि पर

28.8.2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

व आ.ख0नं0 1115 रकबा 0.0162 है0, खसरा सं0 3439/1833 रकबा 0.2995 है0, खसरा सं0 1896 रकबा 1.2545 है0 शामलाती भूमि में हिस्सा 1/3 पर खातेदार सुन्दर बाई पुत्री शंकर पत्नी छीतर जाति मीना निवासी देहित के स्थान पर बद्री बाई पत्नी प्रकाश कौम मीना निवासी बल्लोप के पक्ष में नामांतरकरण दर्ज किये जाने का निर्णय दिनांक 29.04.2022 पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 29.04.2022 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया गया कि अपीलांट व उसके मृतक भाई छीतरलाल एवं बहन मडी बाई के संयुक्त खाते की कृषि आराजी ग्राम देहित पटवार हल्का देहित भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देहित तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में स्थित है, जिसका खाता सं0 नया 762 पुराना 644 की खसरा सं0 1115 की रकबा 0.0162 है० गैर मुमकिन खलिहान व खसरा नंबर 3439/1833 की रकबा 0.2995 नहरी द्वितीय, खसरा नंबर 1896 रकबा 1.2545 है0 कुल किता 3 रकबा 1.5540 है० है। उपरोक्त संपत्ति पूर्व मे अपीलाण्ट के पिता रामचन्द्र के नाम दर्ज थी रामचन्द्र की मृत्यु के उपरान्त उक्त संपत्ति की विरासत का इंतकाल छीतरलाल एवं मडी बाई के नाम 1/3, 1/3 दर्ज हुआ तथा छीतरलाल की मृत्यु के उपरान्त छीतरलाल के कोई संतान नहीं होने के कारण उसकी विधवा पत्नी सुन्दर बाई के नाम दर्ज किया गया तथा सुन्दर बाई की मृत्यु के उपरान्त तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 15.03.2021 के आधार पर बद्री बाई ने एक आवेदन तहसीलदार तालेडा के यहां प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार तालेडा ने अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही उपरोक्त अपंजीकृत वसीयत दिनांक 15.03.2021 के आधार पर सुन्दर बाई का 1/3 हिस्सा बद्री बाई के नाम दर्ज अमल करने के आदेश संबन्धित हल्का पटवारी को दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.04.2022 आर्बीट्रेरी, केप्रिशियस तथा पर्वस है तथा कानूनी सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सह खातेदार तथा अपीलाण्ट को सुनवाई का मौका दिए बिना ही मात्र वसीयतनामा दिनांक 15.03.2021 के आधार पर निर्णय दिनांक 29.04.2022 पारित किया है, जो विधि सम्मत नही है। सुन्दर बाई की मानसिक स्थिति ठीक नही थी तथा रेस्पो नं0 1 द्वारा सुन्दर बाई की इसी स्थिति का फायदा उठाकर स्वयं की उपस्थिति में अंगूठा निशानी लगाकर वसीयतनामा दिनांक 15.03.2021 तैयार किया है, जिसमे स्वयं उपस्थित दर्शित हो रही है, जबकि वसीयतनामा एक गोपनीय दस्तावेज है, जिसमे रेस्पो0 नं0 1 की उपस्थिति नही होनी चाहिए थी तथा दूसरी ओर किसी

28-8-2025
अति. मं. आयुक्त
कोटा

भी पुश्तैनी संपत्ति के संबन्ध में काश्तकारी अधिनियम के तहत वसीयत नही की जा सकती तथा जो वसीयतनामा बनाया गया है वह अवैध है, इसलिए ऐसे वसीयतनामे के आधार पर सुन्दर बाई का 1/3 हिस्सा रेस्पो0 न0 1 के पक्ष मे दर्ज नही किया जा सकता। उपरोक्त संपत्ति अनूसूचित जाति अर्थात मीना जाति के सदस्यों की है तथा मीना जाति को हिन्दू विधि में नही माना जा सकता तथा पति की मृत्यु के उपरान्त पत्नी को यह अधिकार प्राप्त नही हैं कि वह संपत्ति का हस्तान्तरण अन्य किसी के पक्ष में कर सके तथा किसी भी विधवा महिला जो मीना समुदाय की है, उसे ऐसे अधिकार उद्भव नही होते इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.04.2022 न्याय संगत नही है, जो निरस्त किया जावे। ऐसी वसीयत जो कमजोर दिमाग वाली महिला ने आलेखित की है, जो पढ़ी लिखी नही है, जिसमे सोचने समझने की शक्ति भी नही थी मौके पर किसी गवाहान ने यह ताईद नही की तथा वसीयतनामे मे भी यह स्पष्ट नहीं है कि वसीयतनामा उन्हे तथा लिखने वाले को पढकर सुनाया गया तथा गवाहान ने सही होना मानते हुए उस पर हस्ताक्षर किए हो इसलिए भी ऐसा वसीयतनामा संदेह के घेरे में आता है। लेकिन विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं कर निर्णय पारित करने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो से विपरीत जाकर निर्णय दिनांक 29.04.2022 पारित किया है, जो गैर कानूनी है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र तथाकथित वसीयत दिनांक 15.03.2021 एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय दिनांक 29.04.2022 पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.04.2022 अपास्त किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व मे अपीलाण्ट के पिता रामचन्द्र के नाम दर्ज थी तथा रामचन्द्र की मृत्यु के उपरान्त उक्त आराजी की विरासत का इंतकाल छीतरलाल एवं मडी बाई के नाम 1/3, 1/3 दर्ज हुआ। छीतरलाल की मृत्यु के उपरान्त छीतरलाल के कोई संतान नहीं होने के कारण उसकी विधवा पत्नी सुन्दर बाई के नाम नामांतरकरण दर्ज किया गया तथा सुन्दर बाई की मृत्यु के उपरान्त तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 15.03.2021 के आधार पर रेस्पो0 क्र. 1 बद्री बाई ने एक आवेदन तहसीलदार तालेडा के यहां प्रस्तुत किया जिस पर

28-8-2025
आ. सं आयुक्त
कोटा

तहसीलदार तालेडा ने अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही उपरोक्त अपंजीकृत वसीयत दिनांक 15.03.2021 के आधार पर सुन्दर बाई का 1/3 हिस्सा बद्री बाई के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। सुन्दर बाई की मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर रेस्पो0. क्र. 1 बद्री बाई द्वारा स्वयं की उपस्थिति में अंगूठा निशानी लगाकर वसीयतनामा दिनांक 15.03.2021 तैयार किया है, जिसमे स्वयं उपस्थित दर्शित हो रही है, जबकि वसीयतनामा एक गोपनीय दस्तावेज है। साथ ही किसी भी पुश्तैनी संपत्ति के संबन्ध में काश्तकारी अधिनियम के तहत वसीयत नही की जा सकती तथा जो वसीयतनामा बनाया गया है वह अवैध है, इसलिए ऐसे वसीयतनामे के आधार पर सुन्दर बाई का 1/3 हिस्सा रेस्पो0 नं0 1 के पक्ष मे दर्ज नही किया जा सकता। वादग्रस्त आराजी अनूसूचित जाति अर्थात मीना जाति के सदस्यों की है तथा मीना जाति को हिन्दू विधि में नही माना जा सकता तथा पति की मृत्यु के उपरान्त पत्नी को यह अधिकार प्राप्त नही हैं कि वह संपत्ति का हस्तान्तरण अन्य किसी के पक्ष में कर सके तथा किसी भी विधवा महिला जो मीना समुदाय की है, उसे ऐसे अधिकार उद्भव नही होते। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो से विपरीत जाकर निर्णय दिनांक 29.04.2022 पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.04.2022 अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 1 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 के प्रार्थना–पत्र के संबंध में पटवारी हल्का से मोका एवं रिर्कोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर तथा गवाहान के कलमबद्ध बयान दर्ज किये जाकर ही निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट विवेचित किया गया कि वसीयतकर्ता सुन्दर बाई के खाते दर्ज भूमि खसरा सं0 2140 व खसरा सं0 2155 की भूमि अपने पिता शंकर लाल से जरिये वसीयत प्राप्त हुई है। खसरा संख्या खसरा सं 1115 रकबा 0.0162 है0, खसरा सं0 3439/1833 की भूमि सहखातेदारान को 1/3 – 1/3 को प्राप्त होने से तदनुसार सुन्दर बाई पत्नी छीतर के खाते दर्ज रही है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी नहीं होकर सुन्दर बाई की स्वअर्जित होने से पैतृक की श्रेणी में नहीं आती है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज फरमायी जावे।

28-8-2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

6. अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ शपथ पत्र पेश कर अपील को अवधि मध्य मानी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया गया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर पेश किया गया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि किसी भी पुश्तैनी संपत्ति के संबंध में काश्तकारी अधिनियम के तहत वसीयत नही की जा सकती तथा जो वसीयतनामा बनाया गया है वह अवैध है, इसलिए ऐसे वसीयतनामे के आधार पर सुन्दर बाई का 1/3 हिस्सा रेस्पो0 नं0 1 के पक्ष मे दर्ज नही किया जा सकता। ~~उपरोक्त विवेचनानुसार~~ प्रस्तुत प्रकरण में सुन्दर बाई की सम्पति जो अपने पिता से सुन्दर बाई को वसीयत में मिली वह स्वअर्जित होना प्रकट होता है। दूसरी सम्पति भी तीनों सह खातेदारान को 1/3–1/3 हिस्सा प्राप्त होने से पैतृक की श्रेणी में नहीं मानी जा सकती। चूंकि भूमि पैतृक नहीं होकर स्वअर्जित प्रकट होने से तहसीलदार का निर्णय उचित प्रकट होता है। अपीलांट द्वारा भूमि को पैतृक होने बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के पुत्र द्वारा गोदपुत्र के आधार पर चाराजोही की गयी। प्रस्तुत अपील में अपीलांट द्वारा वारिस होने के आधार पर अनुतोष चाहा गया है, जो विरोधाभासी होना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

28-8-2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा